

هدية
HÄDIYAH



મહત્વપૂર્ણ પાઠ ઉત્તમત કે સામાન્ય લોગોં કે લિએ

الدروس المهمة لعامة الأمة

हिन्दी

هندی



लेखक:

આદરણીય શૈખ અબ્દુલ અજીજ બિન
અબ્ડુલ્લાહ બિન બાજ રહિમહુલ્લાહ

الدروس المهمة

لعامنة الأمة

महत्वपूर्ण पाठ उम्मत के
सामान्य लोगों के लिए

लेखकः

आदरणीय शैख अब्दुल अजीज बिन
अब्दुल्लाह बिन बाज रहीमहुल्लाह

प्रस्तावना

अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ), जो बड़ा दयालु एवं अति दयावान है।

सारी प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है, जो सारे ब्राह्मांडों का रब है एवं अच्छा परिणाम अल्लाह से डरने वालों का होगा, एवं दरूद (प्रशंसा) व सलाम (शांति) हो हमारे नबी मुहम्मद पर, तथा आपकी तमाम संतान-संतति और तमाम साथियों पर।

तत्पश्चात्!

यह कुछ संक्षिप्त वाक्य हैं जो इस्लाम धर्म के बारे में आम जनता को अनिवार्य रूप से जानना चाहिए। मैंने इसे (महत्वपूर्ण पाठ सामान्य लोगों के लिए)¹ का नाम दिया है।

अल्लाह से दुआ करता हूँ कि यह किताब मुसलमानों के हित में हो तथा अल्लाह तआला मेरे इस प्रयास को क़बूल करे। वह निस्संदेह बड़ा दानशील और तमाम गुणों में सर्वश्रेष्ठ है।

अबदुल अज़ीज़ बिन अबदुल्लाह बिन बाज़

¹ यह सम्माननीय शैश्व के पुस्तक संग्रह (मजमूअ फतावा एवं विभिन्न लेख) के तीसरे भाग, पृष्ठ : (288-298) में प्रकाशित हुआ था।

पहला पाठ : सूरा फातिहा एवं दूसरी छोटी सूरतें

सूरा फातिहा तथा सूरा ज्ञलज्ञला से सूरा नास तक छोटी-छोटी जितनी सूरतें संभव हों उनको शुद्ध रूप से पढ़ना सिखाना, स्मरण करवाना एवं जिनको समझना आवश्यक है, उनकी व्याख्या करना।

दूसरा पाठ : इस्लाम के स्तंभ

इस्लाम के पाँच अरकान (स्तंभों) का विवरण, जिनमें सबसे पहला एवं महानतम है : यह गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है, तथा मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के रसूल हैं। इसके अर्थों की व्याख्या (को जानने एवं मानने) के साथ, तथा ‘ला इलाहा इल्लल्लाह’ की शर्तों की व्याख्या के साथ ‘ला इलाहा’ का अर्थ है कि अल्लाह के सिवा किसी की भी पूजा नहीं की जाएगी, और ‘इल्लल्लाह’ का अर्थ है कि केवल अल्लाह की ही पूजा की जाएगी, उसका कोई साझेदार नहीं है। ‘ला इलाहा इल्लल्लाह’ की शर्तें हैं : अज्ञानता के विपरीत ज्ञान, संदेह के विपरीत विश्वास, शिर्क के विपरीत निष्ठा, झूठ के विपरीत सच्चाई, घृणा के विपरीत प्रेम, विरोध के विपरीत समर्पण, अस्वीकृति के विपरीत स्वीकृति, तथा अल्लाह के अतिरिक्त अन्य सभी की पूजा का इनकार। इन्हीं शर्तों को निम्नलिखित दो पंक्तियों में संकलित किया गया है :

ज्ञान, विश्वास, निष्ठा एवं सच्चाई, इनके साथ-साथ प्रेम, समर्पण और स्वीकृति

तथा इन के साथ आठवीं शर्त की वृद्धि की गई है जो यह है कि अल्लाह के अतिरिक्त जिन की भी पूजा की जाती है उन का इनकार करना।

मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के रसूल होने की गवाही देने के साथा तथा इस गवाही से मुराद है: जो कुछ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने सूचना दी है, उस में आप पर विश्वास करना, जो कुछ आप ने आदेश दिया है, उसका पालन करना, तथा जिससे आप ने मना किया है, उससे बचना, एवं अल्लाह की इबादत व उपासना केवल उसी ढंग से करना जो अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने निर्धारित किया है। तत्पश्चात छात्र को इस्लाम के शेष पाँच स्तंभों के बारे में बताया जाए, जो कि ये हैं : नमाज़, ज़कात, रमज़ान का रोज़ा, और जो सक्षम हो उसके लिए अल्लाह के पवित्र घर का हज्ज करना।

तीसरा पाठ : ईमान के स्तंभ

ईमान के स्तंभ छह हैं : अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों (संदेशवाहकों) पर तथा आखिरत (परलोक) पर ईमान (विश्वास) लाना एवं अच्छे तथा बुरे भाग्य पर ईमान रखना कि वे अल्लाह की ओर से होते हैं।

चौथा पाठ : तौहीद (एकेश्वरवाद) एवं शिर्क (बहुदेववाद) के प्रकार

तौहीद के प्रकारों का विवरण: इसके तीन प्रकार हैं : तौहीद-ए-रूबूबिय्यत, तौहीद-ए-उलूहिय्यत तथा तौहीद-ए-असमा व सिफात।

तौहीद-ए-रूबूबिय्यत का अर्थ है : इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह हर वस्तु का स्थान है, वही नियंत्रण करने वाला है एवं इन बातों में कोई उसका साझीदार नहीं।

तौहीद-ए-उलूहیयत का मतलब है : इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और इस मामले में उसका कोई साझी नहीं है। यही 'ला इलाहा इल्लल्लाह' का अर्थ है। अतएव नमाज, रोज़ा आदि सारी इबादतों (उपासनाओं) को केवल अल्लाह के लिए खास करना है, किसी दूसरे के लिए उनमें से कुछ भी करना जायज नहीं।

तौहीद-ए-असमा व सिफात का अर्थ : अल्लाह के उन सभी नामों तथा गुणों पर ईमान लाना, जो कुरआन एवं सही हदीसों में उल्लिखित हैं तथा उन्हें अल्लाह के लिए उपयुक्त ढंग से साबित करना, इस तरह कि उसमें न कोई विकृति हो, न इनकार, न अवस्था बयान की जाए एवं ना ही उदाहरण दिया जाए, अल्लाह के इस आदेश के अनुसार :

{فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ}

{आप कह दीजिए कि वह अल्लाह एक है (1)। अल्लाह निःस्पृह और तमाम गुणों में सम्पूर्ण है (2)। न उसने (किसी को) जना है एवं न (किसी ने) उसको जना है (3)। और न उस के बराबर कोई है।} ¹ एवं अल्लाह के इस फ्रमान के अनुसार भी :

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْجَهِيرُ}

"उसके जैसी कोई वस्तु नहीं एवं वह सुनने वाला तथा देखने वाला है।" ² कुछ इस्लामी विद्वानों ने तौहीद की दो क्रिस्में बताई हैं और तौहीद-ए-असमा व सिफात को तौहीद-ए-रुबूबियत के अंतर्गत माना है। इसमें कोई दोष भी नहीं है क्योंकि दोनों वर्गीकरणों से अस्ल उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है।

¹ सूरा अल-इख्लास, आयत : 1-4

² सूरा अश-शूरा, आयत : 11

شirk के तीन प्रकार हैं : शirk-ए-अकबर (बड़ा शirk), शirk-ए-असार (छोटा शirk) तथा शirk-ए-खफ़ी (गुप्तप्राय शirk)।

शirk-ए-अकबर: मनुष्य के समस्त कर्मों को नष्ट कर देता है एवं इस शirk पर मरने वाला सदैव जहन्म में रहेगा। अल्लाह तआला ने फरमाया :

{أَوْلَوْ أَشْرَكُوا لَحِيطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}

"और अगर वे शirk करें तो उनके समस्त कर्म बरबाद हो जाएंगे।"¹ अल्लाह तआला ने दूसरी जगह फरमाया :

{مَا كَانَ لِمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۝ أُولَئِكَ حَيْطُثُ أَعْنَاثُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ}

"मुश्रिकों (बहुदेववाद में विश्वास रखने वालों) का काम नहीं कि वे अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें जबकि वे स्वयं अपने ऊपर कुफ्र के साक्षी हैं, उनके सारे कर्म व्यर्थ गए और वे सदा के लिए जहन्म में रहने वाले हैं।"² और अगर इसी हालत में उसका निधन हो जाए तो उसे क्षमादान नहीं मिलेगा तथा जन्नत उसके लिए हराम होगी जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया :

{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ}

"निस्संदेह, अल्लाह शirk को क्षमा नहीं करेगा, इसके सिवा जिसका जो गुनाह (पाप) चाहेगा, माफ़ कर देगा।"³, अल्लाह तआला ने एक और स्थान पर फरमाया :

{إِنَّمَا مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهَ عَلَيْهِ الْجُنَاحَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۝ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ}

¹ सूरा अल-अन्भाम, आयत : 88

² सूरा अत-तौबा, आयत : 17

³ सूरा अन-निसा, आयत : 48

"जो अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहराता है, अल्लाह ने उसके लिए जनत को हराम कर दिया है एवं उसको जहन्नम में आश्रय मिलेगा तथा ज़ालिमों (अत्याचारियों) की कोई सहायता करने वाला नहीं होगा।"¹

मेरे हुए लोगों तथा मूर्तियों को पुकारना, उनसे सहायता मांगना, उनके लिए मन्त्र मानना एवं उनके लिए जानवर ज़बह करना आदि शिर्के अकबर के अंतर्गत आते हैं।

शिर्क-ए-अस्गार : हर वह कर्म है जिसको किताब व सुन्नत में शिर्क कहा गया हो, पर वह शिर्क-ए-अकबर ना हो जैसे रियाकारी यानी दिखावा, अल्लाह के सिवा किसी वस्तु की कसम खाना एवं 'जो अल्लाह चाहे एवं अमुक व्यक्ति चाहे' आदि कहना, क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया है : “सबसे अधिक जिस चीज़ का मुझे तुम लोगों पर भय है, वह है शिर्क-ए-अस्गार (छोटा शिर्क)।” आप से इसके बारे में पूछा गया, तो आप ने फ़रमाया : “रियाकारी (दिखावा)।”²³ इमाम अहमद, तबरानी तथा बैहकी ने महमूद बिन लबीद अनसारी -रजियल्लाहु अनहु- से 'जय्यिद सनद' (वर्णनकर्ताओं के विश्वसनीय क्रम) के साथ इस हदीस का वर्णन किया है एवं तबरानी ने इसे कई 'जय्यिद सनदों' से 'महमूद बिन लबीद के हवाले से, वह राफ़े बिन खदीज से और राफ़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम' से इसका वर्णन किया है।

¹ सूरा अल् माइदा, आयत : 72

² मुसनद अहमद (5/428)।

³ मुसनद अहमद (5/ 428)।

आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का एक फरमान यह भी है : "जिसने अल्लाह के सिवा किसी और वस्तु की कसम खाई उसने शिर्क किया।"¹ इस ह्रदीस को इमाम अहमद ने स्थीर सनद के साथ उमर बिन ख़त्ताब रजियल्लाहु अन्हु से वर्णन किया है। तथा इस ह्रदीस को अबू दावूद ने एवं तिर्मिजी ने स्थीर सनद के साथ इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा से तथा उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत किया है, कि आप ने फरमाया : "जिसने अल्लाह के सिवा किसी और वस्तु की सौगंध खाई उसने शिर्क किया।"² आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का एक फरमान यह भी है : "जो अल्लाह चाहे एवं अमुक चाहे' ना कहो, बल्कि 'जो अल्लाह चाहे फिर अमुक चाहे' कहो।"³ इसे अबू दाऊद ने हुजैफा बिन यमान -रजियल्लाहु अन्हु- से सही सनद के साथ रिवायत किया है।

परन्तु इस शिर्क से कोई मुरतद (धर्म छोड़ने वाला) नहीं होता एवं न ही कोई इसके कारण सदैव जहन्नम में रहेगा, पर यह तौहीद की अनिवार्य संपूर्णता के विपरीत है।

¹ बुखारी, अल-ऐमान व अन-नूज़र (6271), मुस्लिम, अल-ऐमान (1646), तिर्मिजी, अन-नूज़र व अल-ऐमान (1533), नसई, अल-ऐमान व अन-नूज़र (3764), अबू दावूद, अल-ऐमान व अन-नूज़र (3249), इब्न -ए- माजह, अल-कफ्कारात (2094), अहमद (1/47), मालिक, अन-नूज़र व अल-ऐमान (1037), दारमी, अन-नूज़र व अल-ऐमान (2341)।

² बुखारी, अल-अदब (5757), मुस्लिम, अल-ऐमान (1646), तिर्मिजी, अन-नूज़र व अल-ऐमान (1535), नसई, अल-ऐमान व अन-नूज़र (3766), अबू दावूद, अल-ऐमान व अन-नूज़र (3251), इब्न -ए- माजह, अल-कफ्कारात (2094), अहमद (2/69), मालिक, अन-नूज़र व अल-ऐमान (1037), दारमी, अन-नूज़र व अल-ऐमान (2341)।

³ अबू दावूद, अल-अदब (4980), अहमद (5/399)।

तीसरे प्रकार अर्थात् शिर्क-ए-खफ़ी : अर्थात् गुप्त शिर्क, इसका प्रमाण अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का यह कथन है : "क्या मैं तुम्हें वह बात न बता दूँ जिसका मुझे तुम्हारे बारे में दज्जाल से भी अधिक भय है? सहाबा -रजियल्लाहु अनहुम- ने कहा : अवश्य, हे अल्लाह के रसूल! आपने कहा : शिर्क-ए-खफ़ी, आदमी खड़ा होता है और नमाज पढ़ता है, जब वह देखता है कि कोई आदमी उसकी ओर देख रहा है तो वह और अच्छे ढंग से नमाज पढ़ने लगता है!"¹ इसको इमाम अहमद ने अपनी मुसनद में अबू सईद खुदरी -रजियल्लाहु अनहु- से रिवायत किया है।

वैसे, शिर्क को केवल दो भागों में भी विभक्त किया जा सकता है :

अकबर (बड़ा) एवं असग़र (छोटा) रही बात शिर्क-ए-खफ़ी (गुप्त शिर्क) की, तो यह दोनों को शामिल है।

अकबर (बड़े शिर्क) में खफ़ी का उदाहरण है मुनाफ़िकों (जो केवल दिखावे के लिए इस्लाम का दावा करें) का शिर्क, क्योंकि वे अपनी गलत आस्था को छिपाते हैं एवं अपनी जान बचाने हेतु इस्लाम का दिखावा करते हैं।

असग़र (छोटे शिर्क) में खफ़ी का उदाहरण रियाकारी एवं दिखावा है, जिस का विवरण उपर्युक्त हडीसों में गुज़र चुका है।

पाँचवाँ पाठ : एहसान

एहसान का स्तंभ, जिसका सारांश यह है कि आप अल्लाह की उपासना इस प्रकार करें कि मानो आप उस को देख रहे हैं, यदि यह कल्पना न उत्पन्न हो

¹ इब्न -ए- माजह, अज़-जुह्द (4204), अहमद (3/30)।

सके कि आप उसको देख रहे हैं तो (यह स्मरण रखें कि) वह आपको अवश्य देख रहा है।

छठा पाठ : नमाज़ की शर्तें

नमाज़ की नौ शर्तें हैं :

इस्लाम, समझ, होश संभालने की आयु, हदस (नापाकी) को दूर करना, नजासत (गन्दगी) को साफ़ करना, गुप्तांग को छिपाना, समय का आ जाना, क़िब्ला की तरफ मुंह करना तथा नीयत करना।

सातवाँ पाठ : नमाज़ के अरकान (स्तंभ)

नमाज़ के अरकान (स्तंभ) चौदह हैं :

सक्षम होने पर खड़ा होना, तकबीर-ए-तहरीमा (नमाज की प्रथम तकबीर), सूरा फ़ातिहा पढ़ना, रुकू करना, रुकू के पश्चात सीधे खड़ा होना, सात अंगों पर सजदा करना, सजदे से उठना, दोनों सजदों के बीच बैठना, उपरोक्त समस्त कर्मों में शांति एवं ठहराव, अरकान (स्तंभों) की अदायगी में क्रम, आखिरी तशह्वुद, तथा उसके लिए बैठना, अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर दरूद भेजना एवं दोनों सलाम।

आठवाँ पाठ : नमाज़ के वाजिब (आवश्यक) कर्म

नमाज़ के वाजिब (आवश्यक) कर्म आठ हैं :

तकबीर-ए-तहरीमा के सिवा, सारी तकबीरें, इमाम तथा अकेले दोनों का سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ كَهْنَانَا رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مَنْ حَمَدَ

رب اغفر لي سبحان رب الأعلى
کہنا، سجدے مें کہنا، دोनें سجدों के बीच
کہنا، پ्रथम تshawhūd और उसके लिए बैठना।

नौवाँ पाठ : तशहूद का विवरण

तशहूद निम्नलिखित है :

हर प्रकार का सम्मान, समग्र दुःआँ एवं समस्त अच्छे कर्म व अच्छे कथन अल्लाह के लिए हैं। हे नबी! आपके ऊपर सलाम, अल्लाह की कृपा तथा उसकी बरकतों की वर्षा हो, हमारे ऊपर एवं अल्लाह के भले बंदों के ऊपर भी शांति की जलधारा बरसे, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सत्य माबूद (पूज्य) नहीं, एवं मुहम्मद अल्लाह के बंदे तथा उस के रसूल हैं।

फिर अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर दरूद भेजेगा एवं उन के लिए बरकत की दुआ करते हुए कहेगा : हे अल्लाह! मुहम्मद एवं उनके परिवार पर उसी प्रकार अपनी रहमत भेज, जिस प्रकार से तूने इबराहीम एवं उनके परिवार पर अपनी रहमत भेजी थी। निस्संदेह, तू प्रशंसापात्र तथा सम्मानित है। एवं मुहम्मद तथा उनके परिवार पर उसी प्रकार से बरकतों की बारिश कर जिस प्रकार से तूने इबराहीम एवं उनके परिवार पर की थी। निस्संदेह, तू प्रशंसापात्र तथा सम्मानित है।

फिर आखिरी तशहूद में जहन्नम की यातना, क़ब्र के अज्जाब, जीवन एवं मौत की आज्ञामाइश एवं दज्जाल के फ़ितने से अल्लाह का आश्रय मांगेगा। फिर जो दुआ चाहेगा पढ़ेगा, विशेष रूप से कुरआन एवं हदीस से सिद्ध दुआँ जैसे:

"हे अल्लाह! मुझे क्षमता दे कि मैं तेरा ज़िक्र करूँ, तेरा शुक्र करूँ एवं अच्छे ढंग से तेरी उपासना करूँ। हे अल्लाह! मैंने अपनी आत्मा पर बड़ा अत्याचार किया है एवं तेरे सिवा कोई पापों को क्षमा करने का अधिकार नहीं

रखता, इसलिए तू मुझे अपनी क्षमा की छाया प्रदान कर एवं मुझ पर कृपा करा निस्संदेह, तू क्षमा करने वाला तथा अति दयालु है।"

जुहर, अस, मारिब तथा इशा में प्रथम तशह्हुद में 'शाहादतैन' के पश्चात तीसरी रक़अत के लिए खड़ा हो जाएगा। परन्तु यदि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर दरूद भेजता है तो यह अफ़ज़ल (उत्तम) है, क्योंकि इसे बारे में हदीसों में आम बात आई है। फिर तीसरी रक़अत के लिए खड़ा होगा।

दसवाँ पाठ : नमाज़ की सुन्नतें

कुछ सुन्नतें इस प्रकार हैं :

- 1- इस्तिफ़ाह (शुरूआती दुआ पढ़ना)।
- 2- रुकू से पहले और रुकू के बाद खड़े होने की अवस्था में दायीं हथेली को बायीं पर सीने के ऊपर रखना।
- 3- प्रथम तकबीर, रुकू में जाते समय, रुकू से उठते समय और प्रथम तशह्हुद से तीसरी रक़अत के लिए खड़ा होते समय, दोनों हाथों को कंधों के अथवा कानों के बराबर इस तरह बुलंद करना कि अंगुलियां मिली तथा खड़ी रहें।
- 4- रुकू एवं सजदे में एक से अधिक बार तसबीह पढ़ना।
- 5- रुकू से उठने के बाद رَبِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ से अधिक जो कहा जाए एवं दोनों सजदों के दरमियान एक बार رَبِّ اغْفِرْ لِي से अधिक जो कहा जाए।
- 6- रुकू करते समय सिर एवं पीठ को समानांतर रखना।

7- सजदा करते समय बांहों को पहलुओं से तथा पेट को जांघों से एवं जांघों को टांगों से अलग रखना।

8- सजदा करते समय, बाज़ुओं को जमीन से अलग रखना।

9- प्रथम तशह्हुद तथा दोनों सजदों के बीच, बाएँ पैर को बिछाकर उसपर बैठना एवं दाएँ पैर को खड़ा रखना।

10- चार रक़अत एवं तीन रक़अत वाली नमाज़ों में अंतिम तशह्हुद में तर्वरूक (एक विशेष बैठक) करना, अर्थात्: अपने चूतङ्ग पर बैठना, बाएँ पैर को दाएँ पैर के नीचे रखना एवं दाएँ पैर को खड़ा रखना।

11- प्रथम एवं दूसरे तशह्हुद में, बैठने के समय से अंत तक तर्जनी से इशारा करना एवं दुआ करते समय उसे हिलाते रहना।

12- प्रथम तशह्हुद में अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) एवं इबराहीम -अलैहिस् सलातु वस्सलाम- तथा उनके परिवार पर दरूद भेजना एवं उनके लिए बरकत की दुआ करना।

13- अंतिम तशह्हुद में दुआ करना।

14- फ़ज्ज़, जुमा, दोनों ईदों, इस्तिस्का (वर्षा मांगने के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज़) एवं मग़रिब तथा इशा की पहली दो रक़अतों में जहरी (बुलंद आवाज़ से) कुरआन पढ़ना।

15- ज़ुहर, अस्स, मग़रिब की तीसरी रक़अत एवं इशा की आखिर की दोनों रक़अतों में सिर्फ़ (एकदम धीमी आवाज़ से) कुरआन पढ़ना।

16- फ़ातिहा के अतिरिक्त कुछ आयतें पढ़ना। इनके अलावा भी कुछ सुन्नतें हैं, जैसे वे दुआएँ जो इमाम, मुक़तदी (इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने वाला)

एवं अकेला व्यक्ति रुकू से उठने के बाद رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ के अलावा पढ़ते हैं, एवं रुकू करते समय हाथों को घुटनों पर इस तरह रखना कि अंगुलियां खुली रहें। इन सभी सुन्नतों का ख्याल रखा जाना चाहिए।

ग्यारहवाँ पाठ : नमाज़ को अमान्य करने वाली वस्तुएँ

नमाज़ को अमान्य करने वाली वस्तुएँ आठ हैं :

1- याद रहते हुए जान-बूझ कर बात करना, परन्तु यदि कोई अज्ञानतावश या भूल कर बात कर ले तो उसकी नमाज़ निष्फल नहीं होगी।

2- हँसना

3- खाना

4- पीना

5- गुसांग का खुल जाना

6- किब्ले की ओर से बहुत ज्यादा फिर जाना

7- नमाज़ में बहुत ज्यादा लगातार बेकार की हरकतें करना

8- वजू का टूटना

बारहवाँ पाठ : वजू की शर्तें

वजू की शर्तें दस हैं :

इस्लाम, अक्ल, होश संभालने की आयु, नीयत, वजू सम्पूर्ण होने तक नीयत के हुक्म को जारी रखना, वजू को वाजिब (आवश्यक) करने वाली

वस्तुओं का खत्म होना, वज्र से पहले (शौच के पश्चात) जल अथवा पत्थर आदि का उपयोग करना, जल का पवित्र एवं जायज होना, जो वस्तु जल को चमड़े तक पहुँचने से रोके, उसे दूर करना एवं जिस व्यक्ति का ह्रदस अर्थात् नापाकी का स्राव लगातार हो, उसके लिए नमाज़ के समय का आ जाना।

तेरहवाँ पाठ : वज्र के आवश्यक कर्म

वज्र के आवश्यक कर्म छह हैं :

चेहरे को धोना, और कुल्ली करना तथा नाक में पानी डालना चेहरे के अंतर्गत आते हैं, कोहनी समेत दोनों हाथों को धोना, पूरे सिर का मसह (हाथ फेरना) करना, और दोनों कान सिर के अंतर्गत आते हैं, टखनों समेत पैरों को धोना, वज्र के कार्य क्रमानुसार एवं लगातार करना, चेहरे, दोनों हाथों और दोनों पैरों को तीन-तीन बार धोना सुन्नत है और एक बार फ़र्ज़। परन्तु सिर का मसह सही हदीसों के अनुसार एक ही बार सुन्नत है।

चौदहवाँ पाठ : वज्र को तोड़ने वाली वस्तुएँ

वज्र को तोड़ने वाली वस्तुएँ छह हैं :

आगे और पीछे वाले गुप्तांग से निकलने वाली वस्तु, शरीर से अधिक मात्रा में निकलने वाली नजासत (गंदगी), नींद आदि के कारण होश में ना रहना, बिना किसी आड़ के अपने आगे या पीछे वाले गुप्तांग को छूना, ऊँट का मांस खाना और इस्लाम को त्याग देना -अल्लाह त़ाला हमें एवं सारे मुसलमानों को इससे बचाए-।

महत्वपूर्ण चेतावनी: सही बात यह है कि मेरे हुए व्यक्ति को स्नान कराने से वज्र नहीं टूटता, क्योंकि इस बात की कोई दलील नहीं है। यही अधिकतर

आलिमों की राय है। पर यदि मृतक के गुप्तांग पर बिना किसी आड़ के हाथ पड़ जाए तो वजू टूट जाएगा और नमाज़ पढ़ने के लिए नया वजू करना अनिवार्य होगा।

मृतक को स्नान कराने वाले के लिए आवश्यक है कि वह बिना आड़ के उसके गुप्तांग को स्पर्श ना करे। इसी प्रकार, विद्वानों के दो मतों में से ज्यादा सही मत के अनुसार, औरत को स्पर्श करने से भी वजू नहीं टूटेगा, चाहे वासना सहित स्पर्श करे अथवा बिना वासना के, जब तक (स्पर्श करने वाले के गुप्तांग से) कुछ ना निकले, क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बारे में आया है कि आपने अपनी किसी पत्नी का चुंबन लिया और वजू किए बिना नमाज़ पढ़ ली।

रही बात सूरा अन-निसा एवं सूरा अल-माइदा की दो आयतों की, जिनमें है कि :

{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}

"अथवा महिलाओं को स्पर्श करो"¹ तो इन दोनों स्थानों में आशय संभोग से है, यही उलेमा के दो दृष्टिकोणों में ज्यादा सही दृष्टिकोण है और यही इब्ने अब्बास -रजियल्लाहु अनहुमा- तथा सलफ़ अर्थात् पहले के विद्वानों एवं खलफ़ (बाद में आने वाले विद्वानों) के एक समूह का मत है। अल्लाह तआला ही सुयोग एवं क्षमता देने वाला है।

¹ सूरा अन-निसा, आयत : 43, सूरा अल-माइदा : 6

पंद्रहवाँ पाठ : प्रत्येक मुसलमान का सदाचारी होना

जैसे सच्चाई, ईमानदारी, पाकबाज़ी, लज्जा, वीरता, दानशीलता, वफ़ादारी, हर उस काम से दूर रहना जिसे अल्लाह ने हराम घोषित किया है और अच्छा पड़ोसी बनना, सामर्थ्य के अनुसार अभावग्रस्तों की सहायता करना आदि शिष्ट व्यवहार जो कुरआन एवं हदीसों से प्रमाणित हैं।

सोलहवाँ पाठ : इसलामी शिष्टाचार धारण करना

कुछ इसलामी शिष्टाचार इस प्रकार हैं : सलाम करना, हँसमुख होना, दाएँ हाथ से खाना-पीना, 'बिस्मिल्लाह' कहकर खाना आरंभ करना एवं अंत में 'अल-हम्दु लिल्लाह' कहना, छींक आने के बाद 'अल-हम्दु लिल्लाह' कहना, छींकने वाले को जवाब देना, बीमार को देखने के लिए जाना, जनाज़े के लिए एवं दफ़नाने के लिए जाना, मस्जिद अथवा घर में प्रवेश करने एवं निकलने के धार्मिक आदाब, यात्रा के आदाब, माता-पिता, संबंधियों, पड़ोसियों, छोटों तथा बड़ों के संग अच्छा व्यवहार करना, बच्चे के जन्म पर बधाई देना, शादी के समय बरकत की दुआ देना, मुसीबत (आपदा) के समय दिलासा देना एवं कपड़ा तथा जूता पहनने-उतारने के इसलामी आदाब आदि।

सत्रहवाँ पाठ : शिर्क एवं गुनाहों से सावधान करना

जैसे सात घातक वस्तुएँ, जो इस प्रकार हैं : अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू बिना हक़ के हत्या करना, सूद लेना, अनाथ का माल हड़पना, रणभूमि से फ़रार होना एवं मोमिन पाकदामन महिलाओं पर झूठा लांछन लगाना।

इसी प्रकार से माता-पिता का आज़ाकारी ना होना, रिश्तों और नातों को तोड़ना, झूठी गवाही देना, झूठी कसम खाना, पड़ोसी को कष्ट देना, लोगों की

जान, माल एवं उनके सम्मान पर आक्रमण करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, जूआ खेलना, गीबत एवं चुगली करना आदि जिन से अल्लाह तअला एवं उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है।

अठारहवाँ पाठ : मृतक के कफन और दफन का प्रबंध करना,
उसके जनाजे की नमाज पढ़ना एवं उसे दफनाना

नीचे इसका विवरण प्रस्तुत है :

1- मर रहे व्यक्ति को इस्लाम का कलिमा पढ़ने के लिए प्रेरित करना
मर रहे व्यक्ति को اللہ لا إله إلا إلیہ الصلوٰتُ وَالسَّلَامُ يَسْأَلُ عَنْهُ الْمُرْسَلُونَ (लालैह अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया है : "मर रहे लोगों को اللہ لا إله إلا إلیہ الصلوٰتُ وَالسَّلَامُ يَسْأَلُ عَنْهُ الْمُرْسَلُونَ"।¹ इस हडीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह (मुस्लिम शरीफ) में रिवायत किया है। इस हडीस में (मर रहे लोगों) से मुराद ऐसे लोग हैं, जिनपर मौत के निशान ज़ाहिर हो चुके हों।

2- जब उसकी मृत्यु का विश्वास हो जाए तब उसकी आंखें एवं मुंह बंद कर दिए जाएँ।

क्योंकि हडीस में इसका प्रमाण मौजूद है।

3- मुसलमान मुर्दे को नहलाना वाजिब है, सिर्फ उस आदमी को नहलाने की ज़रूरत नहीं जो रणभूमि में शहीद हुआ हो।

¹ मुस्लिम, अल-जना'इज (916), तिर्मिजी, अल-जना'इज (976), नसई, अल-जना'इज (1826), अबू दावूद, अल-जना'इज (3117), इब्न -ए- माजह, मा जा'अ फी अल-जना'इज (1445), अहमद (3/3)।

उसे ना नहलाया जाएगा, ना उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाएगी। बल्कि उसे उसी के कपड़ों में दफ़न किया जाएगा। क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने उहुद की जंग में शहीद होने वालों को ना नहलवाया और ना उनकी जनाज़े की नमाज़ पढ़ी।

4- मृतक को स्नान कराने का तरीका

उसके गुप्तांग को ढक दिया जाए, फिर उसे थोड़ा ऊपर उठा कर उसके पेट को हल्के से दबाया जाए। इसके बाद, धोने वाला अपने हाथ पर कपड़ा या कुछ और लपेट कर उसके गुप्तांग को साफ करे। फिर उसे नमाज़ के वुजू की तरह वुजू कराए। इसके बाद, उसके सिर एवं दाढ़ी को पानी तथा बैर के पत्ते अथवा किसी और चीज़ से धोए। तत्पश्चात उसके दाहिने हिस्से को धोए, फिर बाएँ हिस्से को। इसी प्रकार से उसे दूसरी एवं तीसरी बार भी धोए, हर बार उसके पेट पर हाथ फेरे, यदि कुछ बाहर निकले तो उसे धोए तथा उस स्थान को रुई या किसी और चीज़ से बंद कर दो। यदि वह न रुके तो मिट्टी या आधुनिक चिकित्सा के साधनों जैसे चिपकने वाली पट्टी (टेप) आदि से बंद कर दो।

फिर उसका वुजू दोहराया जाए, तथा यदि तीन बार धोने से सफाई न हो तो पाँच या सात बार तक धोए, फिर उसे कपड़े से सुखाया जाए एवं उसकी बग़ल (काँख) और सज्दे के स्थानों पर इत्र लगाया जाए। यदि पूरे शरीर पर इत्र लगाया जाए तो अति उत्तम है, उसके कफ़न को बखूर से महकाया जाए। यदि उसकी मूँछें या नाखून लंबे हों तो उन्हें काट दिया जाए, किंतु यदि छोड़ दिया जाए तो भी कोई हर्ज (आपत्ति की बात) नहीं। उसके बालों में कंघी न की जाए, न ही उसके शाष्प (जनर्नेंट्रिय के बाल) हटाए जाएं, तथा न ही उसका खतना किया जाए, क्योंकि (कुरआन एवं हडीस में) इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। महिला

के बालों को तीन चोटियों में गूंथा जाए और उन्हें उसकी पीठ के पीछे छोड़ दिया जाए।

5- मृतक को कफनाना

बेहतर यह है कि पुरुष को तीन कपड़ों में कफनाया जाए, जिनमें ना कमीज हो ना पगड़ी, जैसा कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के साथ किया गया, लेकिन अगर कमीज, तहबंद एवं एक लपेटने वाले कपड़े में कफनाया जाए तो कोई हर्ज नहीं।

एवं महिला को पाँच कपड़ों में कफनाया जाएगा। कमीज, दुपट्टा, तहबंद तथा दो लपेटने वाले कपड़े। बच्चे को एक, दो अथवा तीन कपड़ों में एवं बच्ची को कमीज तथा दो लपेटने वाले कपड़ों में कफनाया जाएगा।

हाँ, पुरुष, महिला और बच्चे, सबके लिए वाजिब केवल एक कपड़ा है, जो समस्त शरीर को छिपा दे। परन्तु, मृतक यदि एहराम की अवस्था में हो तो उसे जल एवं बेरी के पत्तों से स्नान दिया जाएगा एवं अपने तहबंद और चादर आदि में कफनाया जाएगा। ना उसका सिर ढाँका जाएगा और ना उसका चेहरा और ना ही उसे सुंगंध लगाई जाएगी, क्योंकि क्रयामत के दिन उसे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारता हुआ पुनर्जीवित किया जाएगा, जैसा कि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सहीह हदीस से साबित है। और एहराम की हालत में मरने वाली महिला को साधारण महिलाओं की तरह कफनाया जाएगा, मगर उसे सुंगंध नहीं लगाई जाएगी एवं नकाब द्वारा उसका चेहरा नहीं ढाँका जाएगा एवं उसके हाथों को दस्ताने नहीं पहनाए जाएंगे। मगर उसका चेहरा तथा उसके हाथ कफन में लपेटे जाएंगे, जैसा कि इसका विवरण पहले दिया जा चुका है।

6- मृतक को स्नान देने, उसके जनाजे की इमामत करने एवं उसे दफन करने का सबसे अधिक हकदार कौन है?

मृतक को स्नान देने, उसके जनाजे की इमामत करने एवं उसे दफन करने का सबसे अधिक हकदार वह व्यक्ति है जिसके बारे में मृतक ने वसीयत की हो, फिर पिता, फिर दादा, फिर जो जितना मृतक का निकटवर्ती संबंधी हो। यह हुई पुरुष की बात।

एवं महिला को स्नान देने का सबसे ज्यादा अधिकार उस महिला को प्राप्त है जिसके बारे में मृतक ने वसीयत की हो, फिर माता, फिर पिता, फिर जो जितनी निकटवर्ती महिला हो। पति-पत्नी के लिए यह जायज़ है कि एक-दूसरे को स्नान दे, क्योंकि अबू बक्र -रजियल्लाहु अनहु- को उनकी पत्नी ने नहलाया था एवं अली -रजियल्लाहु अनहु- ने अपनी पत्नी फ़ातिमा -रजियल्लाहु अनहा- को स्नान दिया था।

7- जनाजे की नमाज़ का तरीका

चार तकबीरें कहेगा। प्रथम तकबीर के बाद सूरा फ़ातिहा पढ़ेगा। यदि उसके साथ कोई छोटी सूरत अथवा एक आयत या दो आयतें पढ़ ले तो अच्छी बात है, क्योंकि इस संबंध में इन्हे अब्बास -रजियल्लाहु अनहुमा- की हदीस मौजूद है। फिर दूसरी तकबीर कहे एवं अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर दरूद भेजे, तशह्वुद की तरह, फिर तीसरी तकबीर कहे तथा यह दुआ पढ़े: हे अल्लाह! हममें से जो जीवित हैं और जिनकी मृत्यु हो गई है, हममें से जो उपस्थित हैं और अनुपस्थित हैं, चाहे वह छोटे हों या बड़े, पुरुष हों या महिलाएँ, उन सबको क्षमा कर दो। हे अल्लाह! हममें से जिसे तू जीवित रखेगा, उसे इसलाम पर जीवित रख, एवं जिसे मृत्यु देगा, उसे ईमान पर मृत्यु दो। हे अल्लाह! उसे क्षमा कर दे, उस पर कृपा कर, उसे समस्त आपदाओं से सुरक्षित

रख, उसके पापों को मिटा दे, उसका अच्छा स्वागत-सत्कार करना, उसकी कब्र को विस्तारित कर दे, उसे जल, तुषार तथा ओले से स्नान करवा, उसे पापों से उसी प्रकार साफ़ कर दे जिस प्रकार सफेद कपड़े को गंदगी से निर्मल किया जाता है, उसे पृथ्वी से उत्तम घर एवं उत्तम परिवार प्रदान कर, उसे जन्मत में प्रवेश करा तथा कब्र के दंड से मुक्ति दे, उसकी कब्र को प्रशस्त एवं ज्योतिर्मय कर दे। ऐ अल्लाह! हमें उसके स्वाब से वंचित ना कर एवं उसके पश्चात पथभ्रष्ट मत कर। फिर चौथी तकबीर कहेगा एवं दाईं ओर एक सलाम कहेगा।

तथा प्रत्येक तकबीर के साथ हाथ उठाना मुस्तहब (वांछित) है। यदि मृतक महिला हो तो कहा जाएगा : (अल्लाहुम्मा इस्फिर लहा...) अंत तक, एवं यदि दो शव हों तो कहा जाएगा : (अल्लाहुम्मा इस्फिर लहुमा...) अंत तक, और यदि शव दो से अधिक हों तो कहा जाएगा : (अल्लाहुम्मा इस्फिर लहुम...) अंत तक, किंतु मृतक यदि बच्चा हो तो उसके लिए क्षमा की प्रार्थना के स्थान पर यह कहा जाएगा : (अल्लाहुम्मा इजअल्हु फ़रतन व ज़ुखरन लि वालिदैहि, व शफीअन मुजाबन, अल्लाहुम्मा स़क्रिक्ल बिहि मवाजीनहुमा, व आअज़िम बिहि उज़रहुमा, व अल्हक्हु बिसालिहि सलफिल-मुमिनीन, वजअल्हु फी कफालति इब्राहीमा अलैहिस्सलातु वस्सलामु, व किहि बिरहमतिका अज़ाबल-जहीम), अर्थात्: हे अल्लाह, इसे इसके माता-पिता के लिए एक अग्रदूत एवं संग्रह बना दे, और एक स्वीकार्य सिफारिशकर्ता बना दे। हे अल्लाह, इसके द्वारा उनके तराजू को भारी कर दे, और इसके द्वारा उनके पुण्य को बढ़ा दे, तथा इसे धर्मी पूर्वजों के साथ मिला दे। इसे इब्राहीम (अलैहिस्सलातु वस्सलाम) की देख-रेख में रख, एवं अपनी दया से इसे जहन्नम के अज़ाब से बचा।

सुन्नत यह है कि इमाम पुरुष के सिर के सामने और महिला के मध्य में खड़ा हो। यदि कई शव हों, तो पुरुष इमाम के निकट हो और महिला किबला

की ओरा यदि उनके साथ बच्चे भी हों, तो लड़के को महिला से पहले रखा जाए, फिर महिला, फिर लड़की। लड़के का सिर पुरुष के सिर के सामने हो, तथा महिला का मध्य पुरुष के सिर के सामने हो, और इसी प्रकार लड़की का सिर महिला के सिर के सामने हो और उसका मध्य पुरुष के सिर के सामने हो। सभी नमाज़ी इमाम के पीछे खड़े हों, सिवाय इसके कि यदि कोई अकेला हो और उसे इमाम के पीछे स्थान न मिले, तो वह इमाम के दाहिनी ओर खड़ा हो।

8- मृतक को दफन करने का तरीका

मशरूअ (सुन्नत) यह है कि क़ब्र को मनुष्य की कमर तक गहरा किया जाए, तथा इसमें क्रिबला की दिशा में लहद (साइड चैम्बर) होना चाहिए। मृतक को लहद में उसके दाहिने पहलू पर रखा जाए, और क़फ़न की गाठें खोल दी जाएं, परंतु उन्हें हटाना नहीं चाहिए, बल्कि वैसे ही छोड़ दिया जाए, तथा उसका चेहरा नहीं खोला जाए चाहे मृतक पुरुष हो अथवा महिला, फिर उस पर इंटे रखी जाएं एवं गारा से इसे सील कर दिया जाए ताकि वह स्थिर रहे तथा नीचे मिट्टी गिरने से बचाए। यदि इंटे उपलब्ध नहीं हों, तो प्लाई, पत्थर, लकड़ी अथवा अन्य सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया जाए, इस समय यह कहना मुस्तहब (वांछनीय) है : “बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, अर्थात् अल्लाह के नाम से तथा रसूल के ढंग पर”, क़ब्र को एक बालिशत (बित्ता) ऊँचा उठाया जाए, एवं यदि उपलब्ध हो तो उस पर कंकड़ डाल दिया जाए तथा उस पर पानी का छिड़काव किया जाए।

यह बात शरीअत (इस्लामी विधान) के अंतर्गत है कि मृतक के साथ जाने वाले लोग क़ब्र के समीप खड़े हों तथा मृतक के लिए दुआ करें। क्योंकि नबी - सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- दफ़ن के पश्चात खड़े होते एवं कहते : **तुम लोग**

अपने भाई के लिए क्षमा मांगो एवं दुआ करो कि वह प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ एवं अडिग रह सके, क्योंकि उससे अभी प्रश्न पूछे जाएंगे।¹

9- यदि किसी की जनाज़े की नमाज़ छूट गई हो तो वह दफ़न के बाद पढ़ सकता है।

क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने ऐसा किया है। परन्तु शर्त यह है कि ऐसा एक मास के अंदर होना चाहिए। इससे अधिक विलंब हो तो यह नमाज़ पढ़ना सही नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से साबित नहीं है कि आपने दफ़न के एक महीना बाद किसी कब्र पर नमाज़ पढ़ी हो।

10- मृतक के परिवार के लिए जायज़ नहीं कि वे लोगों के लिए खाना बनाएँ।

जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली -रजियल्लाहु अन्हु- के इस कथन के कारण कि : "हम मृतक के घर में एकत्र होने एवं उसे दफ़नाने के बाद खाना बनाने को मातम समझते थे (जो इस्लाम में हराम है)।" इमाम अहमद ने इसे हसन सनद के साथ रिवायत किया है। रही बात मृतक के परिवार तथा उनके अतिथियों के लिए खाना बनाने की तो इसमें कोई हर्ज नहीं और उसके संबंधियों तथा पढ़ोसियों का उनके लिए खाना बनाना शरीअत के अंतर्गत है। क्योंकि जब सीरिया में जाफ़र बिन अबू तालिब -रजियल्लाहु अन्हु- की मृत्यु हुई तो अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने परिवार को आदेश दिया कि वे जाफ़र -रजियल्लाहु अन्हु- के परिवार के लिए खाना बनाएँ, एवं

¹ अबू दावूद, अल-जना'इज़ (3221)

फ़रमाया : "उनपर ऐसी मुसीबत आई हुई है कि उनको किसी और काम के करने का होश भी नहीं है।"¹

मृतक के परिवार वालों पर कोई बाधा नहीं कि वे अपने पड़ोसियों आदि को उस खाने पर बुलाएँ जो उन्हें भेजा गया हो, एवं हमारी जानकारी के अनुसार, शरीअत में इस का कोई नियत समय नहीं है।

11- यदि महिला गर्भवती न हो तो उसके लिए अपने पति के सिवा किसी की मृत्यु का शोक तीन दिन से अधिक मनाना जायज नहीं।

महिला के लिए अपने पति के सिवा तीन दिन से अधिक किसी की मृत्यु का शोक मनाना जायज नहीं एवं अपने पति का चार मास तथा दस दिन तक शोक का पालन करना आवश्यक है। परन्तु यदि गर्भवती हो तो प्रसव तक, क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से ऐसा सही हदीसों से प्रमाणित है।

लेकिन पुरुष के लिए किसी भी करीबी या दूरस्थ रिश्तेदार का शोक मनाना सिरे से जायज नहीं है।

12- शरीयत के अनुसार, पुरुष कुछ समयांतराल पर क़ब्रों की ज़ियारत (दर्शन) के लिए जा सकते हैं ताकि उन के लिए अल्लाह की कृपा की दुआ करें एवं मृत्यु तथा उस के पश्चात की बातों को स्मरण करें।

क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का फ़रमान है : "क़ब्रों की ज़ियारत करो, क्योंकि वे तुम्हें परलोक की याद दिलाएँगी।"¹ इमाम

¹ तिर्मिज्जी, अल-जना'इज (998), अबू दावूद, अल-जना'इज (3132), इब्न -ए- माजह, मा जाआ फी अल-जना'इज (1610).

मुस्लिम ने अपनी सहीह (मुस्लिम शरीफ) में इसे रिवायत किया है। अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अपने साथियों को यह दुःख सिखाते थे : "ऐ मोमिन व मुसलमान कब्र वासियों! तुमपर शान्ति की जलधारा बरसे एवं यदि अल्लाह चाहे तो हम तुमसे भेंट करने वाले हैं। हम अपने तथा तुम्हारे लिए आफियत की दुआ करते हैं। अल्लाह तआला आगे जाने वालों एवं पीछे आने वालों, सबके ऊपर कृपा करो।¹ जहाँ तक महिलाओं की बात है तो उनके लिए कब्रों की ज़ियारत (दर्शन) करना जायज नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने ज़ियारत करने वाली महिलाओं पर लानत (धिक्कार) भेजी है क्योंकि उनका धैर्य कम होता है तथा वे फ़ितने (रोना-पीटना आदि) में पड़ सकती हैं। उनके लिए जनाज़े (मृतक की लाश) के साथ चलकर क़ब्रिस्तान जाना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने इससे रोका है। परन्तु मस्जिद में अथवा मुसल्ले में जनाज़े की नमाज़ पढ़ना, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए जायज़ है।

यही कुछ है जिसको संकलित किया जाना संभव हो सका।

और दरूद व सलाम अवतरित हो हमारे नबी मुहम्मद पर और आपके समस्त परिवार एवं साथियों पर।

¹ मुस्लिम, अल-जना'इज्ज (976), नसई, अल-जना'इज्ज (2034), अबू दावूद, अल-जना'इज्ज (3234), इब्न -ए- माजह, अल-जना'इज्ज (1569), अहमद (2/441).

² मुस्लिम, अल-जना'इज्ज (975), नसई, अल-जना'इज्ज (2040), इब्न -ए- माजह, मा जा'आ फी अल-जना'इज्ज (1547), अहमद (5/353).

विषय सूची

प्रस्तावना	3
अल्लाह के नाम से (शुरू करता हूँ), जो बड़ा दयातु एवं अति दयावान है।.....	3
पहला पाठ : सूरा फातिहा एवं दूसरी छोटी सूरतें	4
दूसरा पाठ : इस्लाम के स्तंभ	4
तीसरा पाठ : ईमान के स्तंभ.....	5
चौथा पाठ : तौहीद (एकेश्वरवाद) एवं शिर्क (बहुदेववाद) के प्रकार.....	5
पाँचवाँ पाठ : एहसान.....	10
छठा पाठ : नमाज की शर्तें	11
सातवाँ पाठ : नमाज के अरकान (स्तंभ).....	11
आठवाँ पाठ : नमाज के वाजिब (आवश्यक) कर्म	11
नौवाँ पाठ : तशह्वुद का विवरण	12
दसवाँ पाठ : नमाज की सुन्नतें.....	13
ग्यारहवाँ पाठ : नमाज को अमान्य करने वाली वस्तुएँ.....	15
बारहवाँ पाठ : वजूँ की शर्तें	15
तेरहवाँ पाठ : वजूँ के आवश्यक कर्म	16
चौदहवाँ पाठ : वजूँ को तोड़ने वाली वस्तुएँ	16
पंद्रहवाँ पाठ : प्रत्येक मुसलमान का सदाचारी होना.....	18
सोलहवाँ पाठ : इसलामी शिष्टाचार धारण करना.....	18
सत्रहवाँ पाठ : शिर्क एवं गुनाहों से सावधान करना.....	18
अठारहवाँ पाठ : मृतक के कफन और दफन का प्रबंध करना, उसके जनाजे की नमाज पढ़ना एवं उसे दफनाना	19
2- जब उसकी मृत्यु का विश्वास हो जाए तब उसकी आंखें एवं मुंह बंद कर दिए जाएँ	19
क्योंकि हदीस में इसका प्रमाण मौजूद है।	19
3- मुसलमान मुर्दे को नहलाना वाजिब है, सिर्फ उस आदमी को नहलाने की ज़रूरत नहीं जो रणभूमि में शहीद हुआ हो।	19
4- मृतक को स्नान कराने का तरीका	20
5- मृतक को कफनाना	21

6- मृतक को स्नान देने, उसके जनाजे की इमामत करने एवं उसे दफन करने का सबसे अधिक हकदार कौन है?	22
7- जनाजे की नमाज़ का तरीका	22
8- मृतक को दफन करने का तरीका	24
9- यदि किसी की जनाजे की नमाज़ छूट गई हो तो वह दफन के बाद पढ़ सकता है।	25
10- मृतक के परिवार के लिए जायज़ नहीं कि वे लोगों के लिए खाना बनाएँ।	25
11- यदि महिला गर्भवती न हो तो उसके लिए अपने पति के सिवा किसी की मृत्यु का शोक तीन दिन से अधिक मनाना जायज़ नहीं।	26
12- शरीयत के अनुसार, पुरुष कुछ समयांतराल पर क़ब्रों की जियारत (दर्शन) के लिए जा सकते हैं ताकि उन के लिए अल्लाह की कृपा की दुआ करें एवं मृत्यु तथा उस के पश्चात की बातों को स्मरण करें।	26

هدية
HÄDIYAH



The Encyclopedia of Ar-Rahman's Guests

Selected material for Pilgrims and Um-rah teaching it
in languages of the world.

